2

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

बईजलास :– सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 343/2017

1. सुखमन्द्रसिंह पुत्र नानकसिंह जाति जटसिख निवासी 14 एनडीआर (सीएडी) नौरंगदेसर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. साधुसिंह पुत्र नानकसिंह जाति जटसिख निवासी 14 एनडीआर (सीएडी) नौरंगदेसर तहसील व जिला हनुमानगढ़।

----वादीगण

बनाम

1. नानकसिंह पुत्र बचनसिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 11, 14 एनडीआर (सीएडी) नौरंगदेसर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।

----प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए

उपस्थित :–

1. श्री प्रद्युम्न सिंह परमार अधिवक्ता वादीगण
2. ममता प्रजापति अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1

निर्णय दिनांक :– 2-2-18

वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीए के तहत इन अभिकथनों के साथ पेश किया है कि चक 14 एनडीआर (सीएडी) तहसील हनुमानगढ़ के खाता सं. 10/8 के प.न. 150/348 के मु.न. 9 कि.न. 23/2/0.152, 24, 25 तादादी 0.658 है, प.न. 151/348 मु.न. 10 कि.न. 16 ता 25 कुल 2.530 है0, प.न. 151/349 मु.न. 15 कि.न. 1 ता 25 कुल 6.325 है0 (0.125 है0 गै.मु. रास्ता व 6.200 है0 कमाण्ड) एवं प.न. 150/349 मु.न. 16 के कि.न. 3/2/0.139, 4 ता 7, 8/2/0. 240, 13/2/0.215, 14, 15, 17, 18, 19/2/0.013, कुल 2.631 है0 (0.075 है0 गै.मु. खाला व 2.556 है0 कमाण्ड), प.न. 150/350 मु.न. 17 कि.न. 16, 25 कुल 0.506 है0, प.न. 151/350 के मु.न. 18 कि.न. 1 ता 25 कुल 6.325 है0, इस प्रकार कुल 18.975 है0 मय गैर मुमकिन खाला कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसमे प्रतिवादी सं. 1 नानकसिंह का 1/3 हिस्सा है। उक्त भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की संयुक्त आय से खरीदशुदा है जिसमे वादीगण का प्रतिवादी के साथ बहिस्सा बराबर हक हिस्सा है। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा घरूबंटवारा किया हुआ है जिसमे प्रतिवादी सं. 1 के हक हिस्सा की 1/3 हिस्सा कृषि भूमि मे वादीगण को बहिस्सा बराबर बांटकर दी हुई है जिस पर वादीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादीगण डिक्री किया जावे कि वादीगण वादपत्र की दफा 2 के मुताबिक प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज भूमि मे प्रतिवादी सं. 1 व वादीगण बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 की ओर ममता प्रतापति विद्वान अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश कर ईकबालदावा प्रस्तुत किया कि वादपत्र मे अंकित समस्त तथ्य स्वीकार है। वादपत्र मे वर्णित कृषि भूमि के संबंध मे यदि 1/3 हिस्सा की घोषणा वादीगण प्रतिवादी के पक्ष मे की जाती है तो प्रतिवादी को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादीगण डिक्री किया जावें। प्रतिवादी को कोई एतराज नही है।

उभय पक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस अभिभाषक वादी ने वादपत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का कथन किया। अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1 ने वाद स्वीकार करने मे अपनी सहमति व्यक्त की।

पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद मे प्रतिवादी ने ईकबालदावा मे कोई आपत्ति नही की गई है। वाद मे प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार वाद मे वर्णित वादग्रस्त भूमि मे वादीगण के पिता प्रतिवादी सं. 1 नानकसिंह के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज है

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

3

ज़िसमे वादीगण द्वारा अपने पिता के नाम दर्ज भूमि मे अपने पिता के साथ बहिस्सा बराबर खातेदारी अधिकारो की घोषणा का अनुतोष चाहा गया। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा वादपत्र स्वीकार किये जाने मे कोई जाने मे कोई आपत्ति जाहिर नही की गई है। अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि चक 14 एनडीआर (सीएडी) तहसील हनुमानगढ़ के खाता सं. 10/8 के प.न. 150/348 के मु.न. 9 कि.न. 23/2/0.152, 24, 25 तादादी 0.658 है, प.न. 151/348 मु.न. 10 कि.न. 16 ता 25 कुल 2.530 है0, प.न. 151/349 मु.न. 15 कि.न. 1 ता 25 कुल 6.325 है0 (0.125 है0 गै.मु. रास्ता व 6.200 है0 कमाण्ड) एवं प.न. 150/349 मु.न. 16 के कि.न. 3/2/0.139, 4 ता 7, 8/2/0.240, 13/2/0.215, 14, 15, 17, 18, 19/2/0.013, कुल 2.631 है0 (0.075 है0 गै.मु. खाला व 2.556 है0 कमाण्ड), प.न. 150/350 मु.न. 17 कि.न. 16, 25 कुल 0.506 है0, प.न. 151/350 के मु.न. 18 कि.न. 1 ता 25 कुल 6.325 है0, इस प्रकार कुल 18.975 है0 मय गैर मुमकिन खाला कृषि भूमि मे प्रतिवादी सं. 1 नानकसिंह के नाम 1/3 हिस्सा मे वादीगण सुखमन्द्रसिंह व साधुसिंह पि0 नानकसिह व प्रतिवादी सं. 1 नानकसिंह को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। उक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 2-2-18 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

4

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

बईजलास :— सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 343/2017

1. सुखमन्द्रसिंह पुत्र नानकसिंह जाति जटसिख निवासी 14 एनडीआर (सीएडी) नौरंगदेसर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. साधुसिंह पुत्र नानकसिंह जाति जटसिख निवासी 14 एनडीआर (सीएडी) नौरंगदेसर तहसील व जिला हनुमानगढ़।

———**वादीगण**

बनाम

1. नानकसिंह पुत्र बचनसिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 11, 14 एनडीआर (सीएडी) नौरंगदेसर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।

———**प्रतिवादीगण**

दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए

डिक्री

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री प्रद्युम्न सिंह परमार अधिवक्ता वादीगण, ममता प्रजापति अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 की ओर से पेश होकर हुक्म दिया जाता है व वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि चक 14 एनडीआर (सीएडी) तहसील हनुमानगढ़ के खाता सं. 10/8 के प.न. 150/348 के मु.न. 9 कि.न. 23/2/0.152, 24, 25 तादादी 0.658 है, प.न. 151/348 मु.न. 10 कि.न. 16 ता 25 कुल 2.530 है0, प.न. 151/349 मु.न. 15 कि.न. 1 ता 25 कुल 6.325 है0 (0.125 है0 गै.मु. रास्ता व 6.200 है0 कमाण्ड) एवं प.न. 150/349 मु.न. 16 के कि.न. 3/2/0.139, 4 ता 7, 8/2/0.240, 13/2/0.215, 14, 15, 17, 18, 19/2/0.013, कुल 2.631 है0 (0.075 है0 गै.मु. खाला व 2.556 है0 कमाण्ड), प.न. 150/350 मु.न. 17 कि.न. 16, 25 कुल 0.506 है0, प.न. 151/350 के मु.न. 18 कि.न. 1 ता 25 कुल 6.325 है0, इस प्रकार कुल 18.975 है0 मय गैर मुमकिन खाला कृषि भूमि मे प्रतिवादी सं. 1 नानकसिंह के नाम 1/3 हिस्सा मे वादीगण सुखमन्द्रसिंह व साधुसिंह पि0 नानकसिह व प्रतिवादी सं. 1 नानकसिंह को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। उक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

बसख्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 2-2-18 को जारी किया गया।

सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner